

इसे वेबसाइट www.govt_pressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 171]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 मार्च 2021—चैत्र 5, शक 1943

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2021

क्र. एफ-6-20-2006-उन्तीस-1.—भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक सा.का.नि. 729 (अ) दिनांक 19 दिसम्बर, 2005 के माध्यम से मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (प्रदाय तथा वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 2005 जारी किया गया है,

अतएव, मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (प्रदाय तथा वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 2005 के खण्ड, 7 के उप-खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में सहायक आपूर्ति अधिकारी के रूप में पदस्थ अधिकारियों को उनके संबंधित क्षेत्राधिकार में उक्त आदेश के उपबंधों का अनुपालन करने के लिए प्राधिकृत करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्द्रेल, उपसचिव

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2021

क्र. एफ-6-20-2006-उन्तीस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26 मार्च 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्द्रेल, उपसचिव

Bhopal, the 26th March 2021

No. F 6-20-2006-XXIX-1.—WHEREAS, the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply and Distribution and Prevention of Malpractices) Order, 2005 has been issued vide Notification No. GSR 729(A) dated 19th December 2005 by the Ministry of Petroleum and Natural Gas of Government of India;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-clause (1) of clause 7 of the Motor Spirit and High Diesel (Regulation of Supply and Distribution and Prevention of Malpractices) Order, 2005, the State Government, hereby, authorizes the officers posted as Assistant Supply Officer in the Department of Food, Civil Supplies and Consumer Protection in their respective jurisdiction to comply with the provisions of the said order.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. K. CHANDEL, Dy. Secy.